

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक B/4050 / चार-12-5 / 2023

जबलपुर, दिनांक 19 / 06 / 2023

निम्न तालिका के कॉलम नंबर 02 में दर्शित न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति तालिका के कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित दिनांक से होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण तालिका के कॉलम नंबर 6 में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिट कोड नंबर	म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 / -(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
				वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह	111000-163030/-	16/07/2021	-	144840/-	16/07/2021
	जिला न्यायाधीश	124930/-	(On Probation)			
	340013701	29/05/2021				
2	श्री आलोक कुमार सक्सेना	122700-180200/-	20/03/2017	-	144840/-	21/03/2017
	जिला न्यायाधीश	138100/-	(A.N.)	20/03/2018	149190/-	01/03/2018
	160002331	16/06/2016		20/03/2019	153670/-	01/03/2019
				20/03/2020	158280/-	01/03/2020
				20/03/2021	163030/-	01/03/2021
				20/03/2022	167920/-	01/03/2022
				20/03/2023	172960/-	01/03/2023

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


19.6.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

Deman


पृ०क्र० 3/4051/चार-12-5/23
प्रतिलिपि:-

जबलपुर दिनांक/06/2023

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम/उज्जैन/जबलपुर/मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-
1. श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला न्यायाधीश, जौरा, मुरैना।
2. श्री आलोक कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीश, जबलपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


रजिस्ट्रार(एम)
e

डेमन